

460

07/01/22

07/01/22

17/01/22

18/01/22

18/01/22

मालिक का नाम .....

झारखण्ड सरकार

यदि सिकमी खतियान हो तो असल रैयत का नाम मय

गैरमानक


# CONTINUOUS KHATIAN

मौजा कंगाली पुलिस थाना

अंचल साहिबपुर थाना सं० 922 रैमन्तु थाना

जिला धनबाद खाता सं० X

खतियान का रिलीफियर सं०	रैयत का नाम, पिता का नाम, जाति तथा निवास स्थान	खेत		किसम जमीन	रकबा			कामियत	लगान बाबत नगदी खेती के निम्नवत शर्त कब्जा लिया हाकिम के तहकियत मुताबिक लगान अलावे शेष लगान	ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो लगान अलावेशेय	(1) नवैयत गैर दखलकार रैयत के कब्जे का मुद्दता (2) तरीका ठहराने लगान वो शराबत लगान अगर हौले हाल बढ़ता हो। (3) खास शर्त अगर कोई हो
		खेसरा	चौहद्दी		ए०	डी०	हेक्टर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	हरिप्रसो कुमहार पिता कुधु	326	321/1 3 प्र० परती	जाडा का	-	8V	9V63	फ० लक्ष्मण	99=92		
	कुमहार नौ अंश का अंश								अंश 40/5		
	कुमहार का महादेव कुमहार										
	पिता जोपाल चन्द्र कुमहार										
	आठ अंश समान का कुं										
	विन्दु देवी पति जोपाल चन्द्र										
	कुमहार एव अस को रघुनाथ									17683 10-3	
	कुमहार का नारायण चण्ड										
	कुमहार पिता कुधु कुमहार										
	अंश 9 का समान का										
	इश्वर चन्द्र कुमहार का										
	केशव चन्द्र कुमहार पिता										



छोटानागरपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 83 (2) के अन्तर्गत रूप से निर्मित एवं स्वत्व अभिलेख दिनांक .....को प्रकाशित अंतिम रूप से प्रकाशित स्वत्व अभिलेख दिनांक .....को हस्ताक्षरित।

हस्ताक्षर  
बन्दोबस्त पदाधिकारी धनबाद

P.T.O



460  
07/01/22

प्रतिलिपि के लिए आवेदन  
तलासी शुल्क 9.55  
अतिरिक्त शुल्क 0.45  
अनुमोदक शुल्क 10.00  
संख्या 16610 1.25

पत्राक 2 form 1.75  
कोष पत्र  
मुद्रित प्रसव  
अनुसंधान  
प्रतिलिपि शुल्क  
शब्द संख्या

शब्दों में 96 या 23.00  
रुपयों 170.00 रुपये

सो ब० प० (प्रशान्त)

4/1/22